संख्या-173/2017/1623/17-27-सिं0-4-28(डब्ल्यू)/16

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 06 सितम्बर, 2017

विषय: नगर विकास विभाग, उ0प्र0 के नियन्त्रणाधीन नगर निगम, फिरोजाबाद को पेय जलापूर्ति हेतु नगर निगम तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मध्य गठित होने वाले एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-66/अनिम-8/यू0-6/पी0-6, दिनांक 20-03-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम फिरोजाबाद को पेयजलापूर्ति हेतु 50 क्यूसेक जल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध कराया जायेगा:-

1. उ0प्र0 शासन के पत्र सं0- 1793/14-27-सिं0-4-83(डब्ल्यू)/14, दिनांक 14.01.2015 द्वारा नगर निगम फिरोजाबाद को पेयजलापूर्ति हेतु 50 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने हेतु अनापत्ति एवं सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है।
2. विषयगत परियोजना को जसराना नवीन नहर परियोजना को टिहरी जलाशय से प्राप्त होने वाले परिकल्पित 200 क्यूसेक जल में से 50 क्यूसेक जल नगर निगम फिरोजाबाद को पेय जलापूर्ति हेतु आवंटित किया जायेगा।
3. पानी की आपूर्ति हेतु हेड रेगूलेटर का निर्माण कार्य, इन्टेक एवं आउटलेट वर्कस इत्यादि स्ट्रक्चर्स का निर्माण नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये धन से सिंचाई विभाग द्वारा डिपाजिट वर्क के रूप में किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उत्तर प्रदेश शासन सिंचाई अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1056 सख/85-23-सिं-3 दिनांक 16.04.1985 के प्रस्तर 5 (2) के अनुसार नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा रायल्टी देय नहीं होगी।

5. अकृषि कार्य हेतु शासनादेश सं0-2953/11-27-सिं0-4-08(जल)/82, दिनांक 15.07.2011 द्वारा निर्धारित रू0 12.48 प्रति हजार घनफुट (बारह रूपये अड़तालीस पैसे मात्र) वास्तविक उपभोग की मात्रा के आधार पर जलमूल्य प्रत्येक माह में जमा किया जाना होगा। उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम द्वारा यदि किन्हीं कारणों से की जा रही जलापूर्ति को बन्द कराया जाता है व जिसके कारण आपूर्ति किये जा रहे जल को स्केप के माध्यम से निकासी किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी परिस्थिति में उक्त जल की मात्रा नगर निगम, फिरोजाबाद की परियोजना के उपभोग में मानी जायेगी।

6. नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल व अन्य यंत्र-संयत्र को लगाने का कार्य, संचालित करना एवं उनके रख रखाव का समस्त व्यय भार स्वयं वहन किया जायेगा। उपयोग किये गये जल की मात्रा का सत्यापन समय-समय पर सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।

7. पानी का उपयोग किये जाने के पश्चात अपशिष्ट जल को नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा मानको के अनुसार पानी शोधन कर क्षेत्रीय नालों/नदियों में डाला जायेगा। पानी के उपयोग के पश्चात उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं इस सम्बन्ध में अन्य किसी मा0 न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के आदेश हों तो उनके मानको के अनुसर पानी के निस्तारण का दायित्व नगर निगम फिरोजाबाद का होगा।

8. नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा परियोजना परिसर में सिंचाई विभाग उ0प्र0 सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवास सुविधा उसी शर्त पर, जिसके अनुसार उनके अधिकारियों/कर्मचारियों को देय है, भुगतान के आधार पर उपलब्ध करानी होगी। यह सुविधा उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय होगी जो जलापूर्ति के कार्यों एवं समन्वय हेतु उत्तरदायी है।

9. नगर निगम, फिरोजाबाद के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0/अनुबन्ध की अवधि 10 वर्ष के लिए होगी। इस अवधि के बाद परिस्थितियों के आधार पर आवेदन पर संभावित समयवृद्धि का अधिकार उपभोग करने वाले विभाग एवं सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी के मध्य समन्वय स्थापित करने के पश्चात होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. नगर निगम, फिरोजाबद को निर्माण कार्य की लागत का 2 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष (10 प्रतिशत वार्षिक बढौतरी के साथ) अनुरक्षण हेतु व्यय वहन करना होगा। जलापूर्ति के दौरान यदि किसी विशेष अनुरक्षण अथवा किसी नये कार्य के निर्माण की आवश्यकता होती है तो उसकी लागत भी नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा वहन की जायेगी।

11. वर्तमान में लागू दरों पर सेन्टेज चार्जेज एवं लेबर सैस का नगर निगम फिरोजाबाद से सम्बन्धित कार्यों (जो सिंचाई विभाग द्वारा कराये जायेंगे) का कुल लागत पर भुगतान सिंचाई विभाग को नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा किया जायेगा। कार्य सम्पादन हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से जो भी कर देय होगे, वे नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा वहन किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई विधिक कर/लेवी का निर्धारण भविष्य में किया जाता है तो वह भी नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा वहन किया जायेगा।

12. जसराना नहर प्रणाली की वार्षिक नहर बन्दी की अनुमानित चार सप्ताह की अवधि में तथा अन्य कोई दैवी आपदा/दुर्घटना/अन्य कारणों से जलापूर्ति में बाधा आने पर सिंचाई विभाग द्वारा जलापूर्ति हेतु पूरा प्रयास एवं सहयोग किया जायेगा परन्तु किसी अन्यथा की स्थिति में नगर निगम फिरोजाबाद को जल की प्रतिपूर्ति हेतु सिंचाई विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस अवधि हेतु जल की व्यवस्था नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा स्वयं करनी होगी।

13. जल का उपयोग पेयजल के प्रयोजन के रूप में ही किया जायेगा। इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए सिंचाई विभाग, उ0प्र0, की बिना सहमति के नहीं किया जायेगा।

14. नगर निगम, फिरोजाबाद सम्बन्धित नहर को संचालित करने के लिए आवश्यक आगणित धनराशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराएगा।

15. फिरोजाबाद नगर निगम को पेय जलापूर्ति हेतु नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन नगर निगम फिरोजाबाद व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के मध्य एम0ओ0यू0 गठित किया जायेगा। उक्त गठित एम0ओ0यू0 के निर्गत होने के पश्चात ही यह शासनादेश प्रभावी होगा।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-173/2017/1623(।)/17-27-सिं-4, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार-2, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद।
6. मुख्य अभियन्ता (जल निगम), आगरा।
7. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in